बाल विवाह पर अंकुष क्यो जरूरी हैं ?

कल्पना अले[1], डॉ. सरोज कुमार सिंह[2]

[1] गवेषिका, राजनीतिशास्त्र विभाग, बी.एन.मंडल. विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार

[2] प्राचार्य, के.पी. कॉलेज, मुरलीगंज, मधेपुरा, बिहार

ABSTRACT

यदि हम विकसित भारत की कल्पना करते है तो उसमें बाल विवाह एक बहुत बड़ी रूकावट दिखाई पड़ती है, क्योकि किसी भी देश को हम अगर विकसित बनाना चाहते है तो उस देश के महिला और पुरूष दोनो को विकसित करना जरूरी है, लेकिन बाल विवाह होने से महिलाओं की समाजिक भागीदारी कम हैं। बाल विवाह के कारण मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्यु दर में अपेक्षित कमी नही हो रही है।यूनीसेफ के अनुसार आज भी भारत देश में हर साल 18 वर्ष से कम उम्र की 15 लाख लड़कियों का विवाह कर दिया जाता हैं, भारत में दुनिया की सबसे अधिक बालवधुये है, जो विश्व की कुल बालवधुओं की संख्या का तीसरा भाग है, बाल विवाह से न केवल उन बच्चों का, बल्कि परिवार का, समाज का और देश का भी नुकसान हो रहा है, कुपोषण और गरीबी पर लगाम न लग पाने का एक कारण बाल विवाह भी हैं।

प्रस्तावना

विभिन्न देशो में विवाह के लिए न्यूनतम आयु अलग–अलग निर्धारित की गई है।भारत में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की व 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी बाल विवाह के अंतर्गत आती है। यूनीसेफ के अनुसार यदि लड़का व लड़की दोनो की उम्र 18 वर्ष से कम है तो वह बाल विवाह कहलाता है।

बाल विवाह से लड़के व लडकियों दोनो का जीवन बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है, पर इस जाल में लडकियों की संख्या लड़को के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं।

बाल विवाहित जोड़े गरीबी व कुपोषण के कुचक्र से बाहर नही आ पाते हैं, क्योंकि कम उम्र में शादी होने की वजह से काम करने की दक्षता में भी कमी आती है। भारत सरकार द्वारा जारी ऑकडों के अनुसार आज भी भारत में 23 प्रतिशत बाल विवाह होते हैं, जो कि बहुत ही चिंतनीय स्थिति है।

भारत में बाल विवाह होने के कारणः

1. भारत में पैर पसारे अशिक्षा बालविवाह का सबसे बड़ा कारण है। जो परिवार अपने बच्चो का बाल विवाह करवाते है अधिकांशतः वे अशिक्षित, पिछडें व गरीब है।
2. जगरूकता का अभाव – सामान्य जनमानस जो अपने बच्चो का बाल विवाह करवाते है वे अपने बच्चों के भविष्य, उनके स्वास्थ व पोषण को लेकर जागरूक नहीं होते है।
3. लडकियों को बोझ समझते हैं और जल्द से जल्द अपनी जिम्मेदारीयों से छुटना चाहते है।
4. प्राचीन परंपरायें –भारत में कई स्थानों पर रूढ़ीवादिता की जड़े इतनी गहरी है की सामान्य जन उनसे बाहर ही नही निकलना चाहतें, जिसके चलते पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को अभी भी निभा रहें हैं जैसे– राजस्थान में देखने को मिलता है।
5. सामान्य जनमानस में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर भय भी बाल विवाह का एक मुख्य कारण हैं। परिवार वाले लडकियों की शादी जल्दी करके उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहते है।
6. कुपोषण भी बाल विवाह का एक मुख्य कारण हैं, क्योंकि कुपोषित लडकियां मानसिक व शारीरिक रूप से परिपक्व न होने के कारण स्कूल की अपनी पढ़ाई को अंजाम देने में न कामायाब रहती है जिसके चलते शाला जाना बंद कर देती हैं और परिवार ऐसी बालिकाओं की शादी के लिए जल्दबाजी करते हैं
7. सुदृढ शिक्षा व्यवस्था की कमी – हमारी शिक्षा व्यवस्था में कमी के चलते लड़कियॉ स्कूल जाना छोड़ देती हैं।
8. कानून व्यवस्था में कमी – बच्चियों के स्कुल छोड़ने पर पालको पर कोई कार्यवाही नहीं होती, इसलिए अशिक्षित परिवार बच्चियों को घर के काम, अपने छोटे भाई – बहनों के पालन पोषण करवाने के लिए स्कूल भेजना बंद करवा देते है।
9. लड़कियों में भी जागरूकता का अभाव है, उनमें इतनी समझ अभी भी विकसित नही हो पायी है कि बाल विवाह से उनके शारीरिक, मानसिक विकास, समाज में उनकी सहभागीता व उनके भविष्य तथा उनकी आने वाली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

बाल विवाह के दुश्परिणामः

1. मातृ मृत्यु दर में वांछित कमी का ना हो पानाः बाल विवाह होने से बालिकायें शारीरिक रूप से परिपक्व नही हो पाती है, जिससे प्रसव के दौरान बालिकायें कभी–कभी मृत्यु की कोख में भी समा जाती है, फलस्वरूप मातृ मृत्यु दर में वांछित कमी लाना मुश्किल होता जा रहा है।
2. शिशु मृत्यु दर में वांछित कमी का ना हो पानाः जब बालिकाओं का बाल विवाह कर दिया जाता है, तो वह बहुत कम उम्र में ही गर्भवती हो जाती है इस दौरान वे शारीरिक व मानसिक रूप से परिपक्व नही हो पाती है, जिस कारण वे अपरिपक्व शरीर के साथ बच्चे को जन्म देती है तो कई बार बच्चों की भी मृत्यु हो जाती है।

3. कुपोषण में वृध्दिः बाल विवाह होने से कुपोषण का चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता हैं, क्योंकि शारीरिक व मानसिक रूप से अपरिपक्व बालिका एक कुपोषित बच्चे को जन्म देती हैं। चूंकि महिला स्वयं अशिक्षित होती हैं तो वह अपने बच्चे का पालन पोषण उचित तरीके से नही कर पाती है, जिससे आने वाली पीढ़ी भी कुपोषित होती है।
4. गरीबी का कुचक्रः बाल विवाह होने से लड़के और लड़कियों पर घर – परिवार व बाल –बच्चों की जिम्मेदारी बहुत ही कम उम्र में आ जाती है, जिससे वे अपनी काम करने की दक्षता का विकास नही कर पाते हैं, जिससे गरीबी के कुचक्र में पीढ़ी दर पीढ़ी फसे रहते है।
5. बढ़ती जनसंख्याः बाल विवाह होने से जनसंख्या में वृध्दि हो रही है क्योंकि बाल विवाह होने से प्रजनन क्षमता बढ़ती है। प्राकृतिक संसाधनों में कमी हो रही है। बाल विवाह होने से बालिकायें जल्दी मां बन जाती है, यदि होने वाले बच्चे का भी बाल विवाह होता है तो जनसंख्या तेजी से बढ़ती है।
6. मानवाधिकारों का हननः बाल विवाह होने से मानवाधिकारों का हनन होता है, क्योंकि बच्चों का बचपन छिन जाता है बच्चों का स्कूल छूट जाता है, शिक्षा अधूरी रह जाती है जिससे वे राजनैतिक साहित्यिक सांस्कृतिक जैसे क्षेत्रों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नही कर पाते है। बहुत ही निम्न स्तर का जीवन व्यापन करते है।
7. शिक्षा पर प्रभावः बालविवाह होने से विवाहित जोड़े कम दक्षता, अशिक्षा, अज्ञानता की वजह से अपनी आने वाली पीढ़ी को उचित शिक्षा नही दे पाते हैं। कई बार 4 से 5 बच्चे होने पर सभी बच्चों को उचित पोषण और शिक्षा की सुविधा नही मिल पाती हैं जिससे अशिक्षा, अंधविश्वास, निर्भरता, गरीबी, कुपोषण बढ़ता जाता हैं।
8. देश की प्रगाति में बाधकः बाल विवाह होने से विवाहित जोडे की काम करने की दक्षता कम होती है, जिससे देश की प्रगाति में बाधा पहॅुचती है सकल घरेलू उत्पाद में वांछित वृध्दि नही हो पाती हैं।

बाल विवाह प्रतिशेध कानून 2006ः इस कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की व 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह बाल विवाह माना जाता हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ सर्वेक्षण–5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह होने वाली बालिकाओं का 12.1 प्रतिशत हैं। सरकार द्वारा बालविवाह की रोकथाम के लिए बहुत प्रयास किये जा रहें फिर भी बालविवाह को जड़ से समाप्त नही कर पायें हैं। सुरजपुर जिले में सबसे अधिक 34.28 प्रतिशत बाल विवाह होते हैं।

विष्लेशणः बाल विवाह के कारण लड़के व लड़की दोनों का शारीरिक व मानसिक विकास पूर्णतः नही हो पाता है। शिक्षा भी अवरूध्द होती हैं जिससे उनमें जीवन व्यापन के लिए कौशल विकास नही हो पाता। कम उम्र में घर गृहस्थी के बोझ के चलते गरीबी के कुचक्र से बाहर नही आ पाते है। कम उम्र में विवाह के कारण लड़कियां कम उम्र में मॉ बन जाती हैं, जिसके चलतें मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में भी वृध्दि होती हैं। कम उम्र में मां बनने से बच्चे कुपोषित पैदा होते है जिससे गरीबी और कुपोषण का चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है।

बाल विवाह का उन्मूलन करके इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। कुपोषण से बच्चो के पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले मानसिक विकास पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बाल विवाह से बहुत अधिक संख्या में बच्चे नाटेपन, दुबले अल्पवजन के शिकार हो जाते हैं जिससे उनकी समाजिक भागीदारी नगण्य होती जा रही है।

सुझावः बाल विवाह के उन्मूलन के लिए इसे जन आंदोलन बनाना अनिवार्य हैं। जनसामान्य के मन में डर का भाव भी जरूरी है। मैग्जीन, अखबार, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से जागरूकता फैलाना होगा। बाल विवाह होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधि. 2006 के तहत बाल विवाह में शामिल सभी व्यक्तियों को दंडित करना अनिवार्य करना होगा। देश में जनप्रतिनिधियों पंच, सरपंच, गणमान्य नागरिकों को बाल विवाह से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी। बाल विवाह करने वाले परिवारों को सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाना चाहिए जैसे – राशन कार्ड ना दे,

बाल विवाह से उत्पन्न चुनौतियॉः

1. बाल विवाह के कारण किशोरियों में कुल प्रजनन क्षमता 17 प्रतिशत से 26 प्रतिशत तक बढ़ जाती है, जो कि देश की जनसंख्या पर एक अतिरिक्त दबाव है।(ग्लोबल सिंथेसिस रिपोर्ट, 2017द्ध
2. 18 वर्ष से पहले 75 प्रतिशत किशोरियों के गर्भधारण की मुख्य वजह बाल विवाह है।(प्लान इंटरनेशनल, सर्वे 2020)
3. बाल विवाह की समाप्ति से राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय और उत्पादकता में एक प्रतिशत में वृध्दि हो सकती है।(विश्व बैंक रिपोर्ट 2017)
4. बाल विवाह का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और यह गरीबी का एक वंशानुगत चक्र बना सकता है।(जेनिफर पार्सन्स एट अल. 2015)
5. उच्च जनसंख्या बढ़ोतरी से जूझ रहें विकासशील देशो पर महिलाओं की कुल प्रजनन क्षमता में 17 प्रतिशत की वृध्दि से नकात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिसका एक मुख्य कारण कम उम्र में अनचाहा गर्भ है।(विश्व जनसंख्या नीतियां–यू.एन. 2021)
6. बाल विवाह के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को जीडीपी का लगभग1.68 प्रतिशत का नुकसान होता है।(रिषा सिंह, 2017)
7. बाल विवाह मानवाधिकारों का उल्लंघन है और लैंगिक असमानता का प्रतीक हैं।(फैन,एस,कोस्की,2022)

संदर्भ ग्रंथः

1. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ सर्वेक्षण रिपोर्ट – 5
2. ग्लोबल सिंथेसिस रिपोर्ट, 2017
3. प्लान इंटरनेशनल, सर्वे 2020)
4. विश्व बैंक रिपोर्ट 2017
5. जेनिफर पार्सन्स एट अल. 2015
6. विश्व जनसंख्या नीतियां–यू.एन. 2021
7. रिषा सिंह, 2017
8. फैन,एस,कोस्की,2022
9. यूनीसेफ रिपोर्ट